प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 29.08.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 16,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना लवेदी व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 16,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.04.2017 को वादी सुरेन्द्र सिंह पुत्र गंगाराम दोहरे निवासी ग्राम पृथ्वीपुर थाना बेला जनपद औरैया द्वारा थाना लवेदी पर अभियुक्तगणों द्वारा दहेज मे 20,000/- रुपया व मोटर साइकिल न देने पर वादी की पुत्री संजू देवी को मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने की नीयत से जला कर गंभीर रुप से घायल कर देने के संबंध मे लिखित तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना लवेदी पर **मु0अ0सं0-49/2017 धारा- 498ए/307 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना लवेदी पुलिस टीम, पैरोकार का0 धर्मेन्द्र एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री अजीत तोमर द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 29.08.2024 को अभियुक्त सर्वेश पुत्र उदयचन्द को मा0 न्याया0 एफटीसी-01, इटावा द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 16,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **सर्वेश पुत्र उदयचन्द निवासी दाऊदपुर थाना लवेदी जनपद इटावा।**